

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// ज्ञा प न //

क्रमांक...../

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक /04/2026

प्रति,

श्री शरद कुमार गुप्ता (जूनियर)
सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
रीवा (म0प्र0)

विषय :- एमजेसी प्रकरण क्रमांक 43/2020 मे0 चन्द्रनिर्माण प्रा0लि0 बनाम मे0 ओरिएंट पेपर मिल के संबंध में।

संदर्भ :- जिला स्थापना शहडोल का पृष्ठांकन क्रमांक 1147/एक-15-1/73 शहडोल दिनांक 10.04.2026

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि श्रीमती दीपाली शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा ज्ञापन क्रमांक 06 दिनांक 31.03.2026 के साथ एमजेसी प्रकरण क्रमांक 43/2020 मे0 चन्द्रनिर्माण प्रा0लि0 बनाम मे0 ओरिएंट पेपर मिल का मूल दस्तावेज वाणिज्यिक न्यायालय रीवा की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित होने के कारण उक्त मूल दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपको जिला न्यायाधीश स्तर पर रीवा जिला एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिये वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने लिये अधिसूचित किया गया है।

अतः यथा आदेश संदर्भित पत्र की छायाप्रति एवं एमजेसी प्रकरण क्रमांक 43/2020 मे0 चन्द्रनिर्माण प्रा0लि0 बनाम मे0 ओरिएंट पेपर मिल का मूल दस्तावेज वाणिज्यिक न्यायालय रीवा की क्षेत्राधिकारिता से संबंधित होने के कारण उक्त मूल दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। साथ ही उक्त अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति सीधे जिला स्थापना शहडोल की ओर प्रेषित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- एमजेसी प्रकरण क्रमांक 43/2020 मे0 चन्द्रनिर्माण प्रा0लि0 बनाम मे0 ओरिएंट पेपर मिल का मूल दस्तावेज

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 24/04/2026

पृष्ठांकन क्रमांक 2102/
दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल।
2. श्रीमती दीपाली शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)